www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 15.02.2017

सरकारी खजाने को हानि पहुँचाने पर सी.जी.एच.एस. के तत्कालीन कर्मी एवं उनके पति को पॉच से सात वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पटियाला हाऊस न्यायालय, नई दिल्ली ने सी.जी.एच.एस. (दक्षिणी परिक्षेत्र), आर.के.पुरम्, नई दिल्ली के तत्कालीन लेखाकार श्रीमती नीलम सहगल को 15.16 लाख रू. के जुर्माने सहित 07 वर्ष की कठोर कारावास ; उनके पति श्री जगदीश सहगल (एक प्राइवेट व्यक्ति) को दो लाख रू. के जुर्माने सहित 05 वर्ष की कठोर कारावास व उनकी पुत्री सुश्री रीतू सहगल को दो लाख रू. के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों की सम्पत्तियों को जब्त करने का भी आदेश पास किया।

सीबीआई ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ योजना (सी.जी.एच.एस.), आर.के. पुरम्,नई दिल्ली की उच्च श्रेणी लिपिक सह लेखाकार श्रीमती नीलम सहगल एवं अन्यों के विरूद्ध दिनांक 29.10.2013 को वर्तमान मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि श्रीमती नीलम सहगल अपनी पुत्री रीतू सहगल एवं अन्य काल्पनिक व्यक्तियों के नाम पर ज़ाली बिलों को तैयार किया करती थी एवं लगभग 23 मामालों में 4,44,372 रू. (लगभग) की राशि का सरकारी धन गबन किया। एक अन्य इस तरह के मामले में, श्रीमती नीलम सहगल ने कथित रूप से 2,44,077 रू. (लगभग) के गलत बिलों पर दावा पेश किया।

जॉच के पश्चात, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदलत, पटियाला हाऊस न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक 16.04.2015 को आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने आरोपियों को कसूरवार पाया व उन्हे दोषी ठहराया।

****